

नासिरा शर्मा की कहानियों में सांप्रदायिकता

डॉ.शेख बेनजीर

सहायक आचार्य

एस.वी.सि.आर.शासकीय महाविद्यालय पलामनेरू, चित्तूर, आंध्रप्रदेश

सारांश : भारतीय इतिहास में विभाजन की बड़ी त्रासदी है जिसके परिणाम आज भी भयानक रूप से दिखाई देते हैं। इस विभाजन से उपजे सांप्रदायिकता में मानवी मूल्य ही बदल दिए गए। आजादी के बाद सोचा था कि हमारा देश विभाजन की त्रासदी से बाहर निकाल कर धीरे-धीरे सामाजिक सद्भाव की ओर बढ़ेगा, लेकिन संकीर्ण मानसिकता के कारण मूल्य विघटित हुए हैं। देश विभाजन ने लगभग पूरे भारत को सांप्रदायिकता की ज्वाला में धकेल दिया। सांप्रदायिकता के कारण उपजे सामाजिक रूप ने साहित्यकारों को हिला कर रख दिया। उन्होंने न केवल विभाजन के दिनों में बल्कि लगातार इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते रहे। हिंदी में यशपाल, कमलेश्वर, राही मासम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, दूधनाथ सिंह आदि साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपने लेखन में इस समस्या के विविध पहलुओं पर विचार किया है।

देश विभाजन ने जन मानस की चेतना को तहस – नहस कर दिया। “देश विभाजन और सांप्रदायिक दंगे की अंधी – तफान में व्यक्ति के समस्त मानवीय मूल्य, आस्था और विश्वास पूर्णरूपेण धराशयी हो गये। मानवीय संबंधों और मानवीय मूल्यों का विघटन पहले परिस्थिति और भूगोल गत था, फिर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तरों पर चलने लगा।”¹

बीज शब्द : देश विभाजन, धर्म, सांप्रदायिक, अखण्डता

इस देश में सांप्रदायिकता का बीज भारतीय मानस के अन्दर अंग्रेजों ने उसी समय बोया, जिस समय उन्होंने भारत का बंटवारा किया था। आज पूरा भारत वर्ष सांप्रदायिकता के कारण ग्रस्त दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि “विभिन्न धर्मों के ठेकेदारों, पंडितों, मुल्लाओं और ज्ञानी संतों ने धर्म के बाह्य स्वरूपों, उसके कर्मकाण्ड और उसकी औपचारिकता को प्रधानता दे डाली। उनके आधारभूत तत्वों की एकता पर जोर नहीं दिया।”² नासिरा शर्मा एक संवेदनशील लेखिका होने के नाते उनके साहित्य में सांप्रदायिक सौहार्दता का चित्रण देख सकते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ “सांप्रदायिक होने का भाव केवल अपने संप्रदाय की श्रेष्ठता तथा हितों का विशेष ध्यान रखनेवाला।”³ सांप्रदायिकता मनुष्य के उस संकीर्ण और स्वार्थपरक विचारधारा का प्रतीक है, जिससे धार्मिक समुदायों में परस्पर द्वेष और घणा की भावना पनपती है एवं हिंसा की आग भड़कती है। राजनीति में संप्रदाय को विशेष महत्व प्राप्त है, क्यों कि नेता किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित होता है, वह अपने संप्रदाय के विकास के लिए तत्पर रहता है। कभी – कभी वह संप्रदाय का उपयोग सत्ता प्राप्त करने तथा कुर्सी बचाने के लिए करता है। भारत में सांप्रदायिकता राजनेताओं के हाथ की

कठपुतली बन गयी है। सांप्रदायिकता की परिणति दंगे में होती है। अपनी स्वार्थपरति हेतु डॉ समुदायों को आपस में लड़ाते हैं। “सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति के दाव – पेंचों की उपज है। ‘राजनीतिज्ञ अपने लाभ के लिए सांप्रदायिकता की भावना फैलाते हैं और जरूरत पड़ने पर दंगे भी कराते हैं। राजनीति का अपराधी कारन हो रहा है। समाज विरोधी तत्वों को संरक्षण देकर सांप्रदायिकता का जुआ खेला जाता है।”⁴ स्वार्थसिद्धि हेतु असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिकता की आग भड़कती जाती है, फसाद करवाया जाता है। ‘सबीना के चालीसा चोर’ कहानी में बढ़ती सांप्रदायिकता का बेबाक चित्रण हुआ है। “फसाद जंगल की आग की तरह एक शहर से दूसरे शहर में फैल रहा था।.... खुशी के मौके पर अब सियासत और फसाद की बातें होती थीं।”⁵ दंगे - फसाद करने और करानेवालों का कोई धर्म, ईमान नहीं होता, क्योंकि किसी भी धर्म में निरपराधी को मारना पाप समझा गया है, अतः फसाद फैलानेवाले “जाने किस नस्ल और नुल्फे के होते हैं। इन्हें तो हिन्द-मुसलमान कहना गुनाह है, जल्लाद इनका काम, बारूद बिखेरना और फलीता लगाना है, तभी तो देखो हरे – भरे मुल्क को कैसे खून से भिगो दिया।”⁶ सन् १९८४ में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिख समुदाय के विरोध में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी थी। सिखों को जान से मारा गया, उनकी संपत्ति जलाई गई। ‘ओमोख्ता’ कहानी के वीर जी इस हिंसा के साक्षी है। यह हिंसा को देखकर वीर जी के मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि “आज का शासक तो हमारा अपना चुना हुआ है – फिर ? क्या हमने आज आंखे फोड़ दी है और जबान सिल ली है, जो कोई नहीं कहता कि सियासत के चलते आज दूसरी कौम अपने ही देश में बेआबरू क्यों हो रही है।”⁷ “आया वसंत सखी” कहानी में दस्तकारों का स्वतंत्र व्यवसाय बड़े व्यापारियों को उखरता है, अतः दस्तकारों की आर्थिक दशा को दुर्दशा में परिवर्तन करने हेतु शहर में शिया – सुन्नी समुदाय में दंगा करवाया जाता है। “सुन्नी – शिया फसाद हुए अभी दो दिन ही गुजरे थे। मगर मरनेवालों और तबाह होनेवाली चीजों की संख्या अनगिनत थी। दो गरीब वर्ग एक – दूसरे के खून प्यासे हो गये थे।”⁸ ‘असलीबात’ कहानी में शहर में हिन्द – मुस्लिम दंगे – फसाद हो जाते हैं, अंततः पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ता है। कर्फ्यू के कारण दोनों मोहल्लों के गरीबों ने पछताना शुरू कर दिया था.... मजदर ने मजदरी से हाथ धोया, दकानदारों ने ग्राहकों से। चूल्हे तो घरे-घर दूसरे दिन से ही ठंडे पड़ने लगे थे। कर्फ्यू खुलता भी घंटे को तो खेरीदारी की सकत किस में थी।”⁹ नौ-तपा कहानी में बढ़ती सांप्रदायिकता का

मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। इस कहानी का नायक समीह सांप्रदायिकता शिकार है। उसके माता-पिता की हत्या हो जाती है, घर अवैद्य कब्जा किया जाता है। समीह अपना नाम लछमन प्रसाद बताता है। अब उसे लच्छू के नाम से बुलाते हैं। जब यह भेद खुलता है कि लच्छू इस घर के मालिक का बेटा है समीह है, उसकी बुरी तरह पिटाई होती है। 'मेरा घर कहाँ' कहानी की लाली, धोबिन, सोना, ननक ऐसे पात्रों के नाम हैं, जो मुस्लिम हैं किन्तु उनके नाम मुस्लिम जैसे नहीं हैं। सोना अपने दूर के चाचा रहमान का पता पछती है, उसे कोई जानता नहीं था। आखिर थक कर वह पेड़ के नीचे बैठ गयी, जिसके पास किसी घनश्याम धोबी का अड्डा था।¹¹ नासिरा शर्मा जी सांप्रदायिक समस्या को 'सरहद के इस पार' कहानी में चित्रित किया। सांप्रदायिक दंगों में कहानी का नायक रेहान पागल होकर हिन्दुओं को गालियाँ देने लगता है। "मारो सारे हिन्दुओं को, गल्ले दबादो इनके। साले कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो जाकर पूछो इनसे, तुम्हारे बाप-दादा इसी धरती के अगोरा में गड़े है। सबूत चाहिए तो जाकर देखो हमारे कब्रिस्तान सबके सब मौजूद है वहाँ। खुद गद्दार है और हम पर इल्जाम लगाते हैं। नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूँढा है। आखिर कहे भी क्या? मारो सब कातिलों को मारो। खून की नदियाँ बहा दो मार - मारकर।"¹² 'सबीना के चालीस चोर' कहानी में भी सांप्रदायिकता एवं बंटवारा दिखाई पड़ता है। रंगास्वामी तेजी से बोलते हैं कि "मैं तो कहता हूँ... बंट जाने दो इस हिन्दुस्तान को..... यह अखण्डता ही हमारी मूसीबत बन गई है। जब हम साथ रहना नहीं चाहते और सरकार भी दंगों - फसादों की बैसाखी पर खड़ी है तो फिर यह दिखावा क्यों? इतिहास को तोड़ते-मरोड़ने की जरूरत क्यों? इतिहास को ही टुकड़ों में काटके रख दो?"¹³ नासिरा जी ने न केवल सांप्रदायिकता को उजागर किया, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। वह लिखती है "यह जिम्मेदारी देश के जवान माँ - बाप पर है कि वे अपने नये जन्मे बच्चे को ऐसा संस्कार दें, जो वह पहले हिन्दुस्तानी बने बाद में हिन्द-मुसलमान। इससे दंगे - फसाद खत्म होंगे।"¹⁴ यदि हम एक दूसरे के धर्म को समझ कर आपस में लड़ना बंद कर दें तो निश्चित रूप से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

संदर्भ :

1. एक दुनिया समानांतर - राजेन्द्र यादव - पृ - २७
2. डॉ.शशि तिवारी - भारतीय धर्म और संस्कृति - पृ - ४७
3. एक दुनिया समानांतर - राजेन्द्र यादव - पृ - २०
4. गांधी और सांप्रदायिक एकता - सुनील कुमार अग्रवाल - पृ - क्र - viii
5. रुबीना के चालीस चोर - नासिरा शर्मा - पृ - १६०
6. रुबीना के चालीस चोर - नासिरा शर्मा - पृ - १६३
7. इब्ने मरियम - नासिरा शर्मा - पृ - १७
8. रुबीना के चालीस चोर - नासिरा शर्मा - पृ - १८४
9. इंसानी नस्ल - नासिरा शर्मा - पृ - 16
10. खुदा की वापसी - नासिरा शर्मा - पृ - १५२
11. कहानी संग्रह -१ - नासिरा शर्मा - १९७
12. कहानी संग्रह -२ - नासिरा शर्मा - ३५९
13. राष्ट्र और मुसलमान - नासिरा शर्मा - पृ - १७

पैरोल एक सुविधा (सतना केंद्रीय जेल के संदर्भ में)

डॉ. पूनम शर्मा

अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र)

शा.महाविद्यालय जैतपुर, जिला -शहडोल (मध्य -प्रदेश)

पैरोल एक कानूनी सुविधा है जिसका उपयोग दंड और सजा की अवधि के बाद किसी कारागार के दोषी को समाज में पुनः शामिल करने के लिए किया जाता है। पैरोल का उद्देश्य यह होता है कि यह किसी व्यक्ति को समाज एवं परिवार में जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। पैरोल के तहत दोषी को 2 वर्ष के बाद अच्छे आचरण होने पर अस्थाई रूप से रिहा किया जाता है लेकिन वह अपने वास्तविक कार्य और सामाजिक जीवन के कुछ शर्तों का पालन करने के लिए अपनी आदतों में सुधार करते हैं यह शर्तें जैसे -कि वे नियमों और कानून का पालन करें, समाज में अच्छे तरीके से व्यवहार करें और जेल अधिकारियों के साथ साक्षात्कार और प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसे प्रक्रिया में है। पैरोल का उद्देश्य होता है कि परिवार एवं समाज से मिलने की प्रक्रिया को सहयोग और निगरानी के साथ संचालित करना ताकि दोषी बंदी फिर से समाज में सफलता प्राप्त कर सके और समाज की सुरक्षा बनी रहे। पैरोल की आवश्यकता एक बंदी को क्यों होती है कुछ लोगों का अध्ययन मैंने केंद्रीय जेल सतना से लेने का प्रयास किया जिसमें प्रमुख रूप से कल्याण अधिकारी श्री अनिरुद्ध कुमार तिवारी केंद्रीय जेल सतना ने संक्षेप में जानकारी प्रदान की जो बहुत कारगर सिद्ध हुई इस शोध पत्र को लिखने में इनसे बात करने पर यह ज्ञात होता है कि बंदियों को पैरोल की आवश्यकता क्यों होती है जिसमें यह ज्ञात हुआ कि हम बंदियों को सामाजिक धारा से जोड़ना चाहते हैं। मैंने अन्य अधिकारियों से भी संपर्क किया जो सतना जेल में पदस्थ हैं। जिसको मैं इस शोध पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। मध्य प्रदेश की जेलें जिनमें दंडित- विचाराधीन बंदी अपने अपराधों की सजा भुगतते हैं। मध्य प्रदेश की जेल सुधारात्मक संस्था भी है। जिनमें बंदियों को विभिन्न प्रशिक्षण, स्कूल एवं उच्च शिक्षा साथ ही नैतिक शिक्षा प्रदान कर चरित्र सुधार व आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है इसी क्रम में बंदियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा पैरोल (अवकाश)का लाभ भी दिया जाता है। बंदी वर्षों तक जेल में रहकर अपनी सजा भुगतते हैं जिससे वह अपने परिवार, समाज, क्षेत्र के रहन-सहन में प्रगतिशील परिवर्तन से अनजान हो जाते हैं। परिवारजनों से फोन पर बात व सीमित मुलाकात उन्हें कुछ -राहत अवश्य देती है लेकिन समाज व परिवार की बदलती परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने बंदियों को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैरोल (अवकाश)की व्यवस्था की है। बंदी अधिनियम 1985 व मध्य प्रदेश बंदी छुट्टी नियम- 1989 के अनुसार छुट्टी (अवकाश)की व्यवस्था की गई है पैरोल (अवकाश)के लिए मध्य प्रदेश राजपत्र में नियम उल्लेखित किए गए हैं। पैरोल (अवकाश)जिसे अस्थाई मुक्ति अवकाश भी कहा जाता है। यह व्यवस्था सिर्फ दंडित बंदियों के लिए की गई है। ऐसे दंडित बंदी जिन्हें कम से कम 3 वर्ष की सजा पड़ी हो साथ ही उसने परिहार मिलाकर कम से कम 02 वर्ष की सजा भुगत ली हो तो वह अवकाश के लिए पात्र होंगे। बंदी का जेल में आचरण अच्छा होने पर ही अवकाश संबंधी प्रक्रिया में बंदी का आवेदन लिया जाता है दंडित बंदी को सामान्य /आपात अवस्था अवकाश की पात्रता होती है। सर्वप्रथम